क्रम-संख्या–240

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 ई0
(अग्रहायण 19, 1943 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 3606/दो-805ए

दिनांक : 10 दिसम्बर, 2021 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि–93

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त, समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस नियमावली, 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस (सतवां संशोधन) नियमावली, 2021

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस (सातवां संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–नियम-4 का संशोधन–उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस नियमावली, 1976 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में नियम-4 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (9) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
वर्तमान उप नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(9) लाइसेंसधारी, लाइसेंस के अधीन प्राप्त की गयी स्प्रिट के किसी परिमाण को ना तो बेचेगा, या उसे भेंट के रूप में या अन्यथा किसी को देगा या लाइसेंस में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये उसका उपयोग करेगा।	(9) लाइसेंसधारी, लाइसेंस के अधीन प्राप्त की गयी स्प्रिट के किसी परिमाण को ना तो बेचेगा, या न उसे भेंट के रूप में या अन्यथा रूप में किसी को देगा या न लाइसेंस में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये उसका उपयोग करेगा।
प्रतिबन्ध यह है कि मोनो इथलीन ग्लाइकाल या तत्सदृश्य उत्पाद का निर्माण करने वाली कोई औद्योगिक इकाई आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति से, निर्माण की प्रक्रिया में पायी गयी अवशिष्ट स्प्रिट को जिसमें 0.5 पी0बी0एम0 से अधिक सल्फर हो, आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त यथाविनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों के अनुसार इस नियमावली के अधीन लाइसेंस रखने वाली किसी अन्य इकाई को बेच सकती है।	परन्तु यह कि पेट्रोल में विकृत पावर अल्कोहल के मिश्रण हेतु पेट्रोलियम डिपो को जारी किये जाने वाले एफ0एल0-41 लाइसेंस का धारक, अन्य राज्यों में स्थित अपनी कम्पनी के तेल डिपो को, निर्यात नियमों के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अनुसार, विकृत पावर अल्कोहल का निर्यात, रेल वैगन के माध्यम से कर सकता है।
	परन्तु यह और कि एफ0एल0-41 लाइसेंसधारी रेल वैगन के माध्यम से निर्यात किये जाने वाले ऐसे प्रत्येक परेषण हेतु पी0डी0-25 प्रपत्र में परिवहन पास जारी करेगा जिसकी एक प्रति संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक निर्यात हेतु विहित निर्यात पास फीस अग्रिम रूप से संदत्त होगी।

3–नियम 5 का संशोधन–उक्त नियमावली में नियम-5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (3) के खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
वर्तमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(घ) लाइसेन्स धारी स्प्रिट की दैनिक प्राप्ति तथा उपयोग का सही लेखा-जोखा आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर विहित प्रपत्र में रखेगा।	(घ) लाइसेन्स धारी स्प्रिट की दैनिक प्राप्ति तथा उपयोग और रेल वैगन से विकृत पावर अल्कोहल के निर्यात का सही लेखा-जोखा आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर विहित प्रपत्र में रखेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 3606/DO-805A, dated *December* 10, 2021:

NOTIFICATION

No. 3606/DO-805A

Prayagraj, dated: December 10, 2021

In exercise of the powers under section 41 of the Excise Act, 1910 (Act no. 4 of 1910), the Excise Commissioner, with the previous sanction of the State Government, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Licences for the possession of Denatured Sprit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976, as amended from time to time.

UTTAR PRADESH LICENSES FOR THE POSSESSION OF THE DENATURED SPIRIT AND SPECIALLY DENATURED SPIRIT (SEVENTH AMENDMENT), RULES, 2021

1. Short title and commencement –(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Licenses for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit (Seventh Amendment), Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of rule-4–In the Uttar Pradesh Licenses for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976 (hereinafter referred to as the ''said rules'') in rule-4 sub rule (9) set out in Column I below, the sub rule as set out in the Column II shall be substituted, namely :

Column I	**Column II**
Existing Sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(9) The licenscee shall not sell or part with as gift or otherwise any quantity of spirit obtained under the licence or utilize it for purposes other than stated in the licence; Provided that an industrial unit manufacturing Mono Ethyline Glycol or the like products may, with the prior sanction in writing of the Excise Commissioner to sell the residual spirit, recovered in the process of manufacture containing more than 0.5 P.P.M. sulphor, to any other unit holding a licence under these rules in accordance with the terms and conditions as specified by the Excise Commissioner in this behalf.	(9) The licenscee shall not sell or part with as gift or otherwise any quantity of spirit obtained under the licence or utilize it for purposes other than stated in the licence; Provided that holder of F.L.-41 licence issued for petroleum depot for mixing of denatured power alcohol in the petrol may export denatured power alcohol through rail wagon to oil depot of their own company situated in other States, under export rules in accordance with the prescribed terms and conditions. Provided further that F.L.-41 Licencee shall issue transport pass in form P.D.-25 for export through rail wagon for each such consignment, a copy of which pass shall be submitted in the office of the concern district excise officer. Prescribed Export pass fee shall be paid in advance for each export.

3. Amendment of rule 5–In the said Rules, in sub-rule (3) of rule 5, for clause (d) set out in Column I below, the clause as set out in the Column II shall be substituted, namely :

Column I	**Column II**
Existing clause	*Clause as hereby substituted*
(d) The licensee shall maintain correct account of daily receipt and utilisation of the spirit in the form as may be prescribed by the Excise Commissioner from time to time.	*(d)* The licensee shall maintain correct account of daily receipt and utilisation of the spirit and denatured power alcohol exported through rail wagon in the form as may be prescribed by the Excise Commissioner from time to time.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0–20 असाधारण गज़ट–10.12.2021–500 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।